मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधीन पंजीकृत संस्था)

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 59, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्र./ 8491 /MGNREGS-MP/एनआर–1 /प्रशा./2015 भोपाल, दिनांक 26/08/2015

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला पंचायत – समस्त
मध्यप्रदेश।

विषय : लेबर बजट की वित्तीय वर्ष 2015–16 की पूर्ति के संबंध में।

विषयांतर्गत लेख है कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के लगभग पांच माह बीतने के बाद लेबर बजट के विरूद्ध लक्ष्य पूर्ति 10 प्रतिशत के लगभग है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के शेष 07 माह में लक्ष्य पूर्ति की जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों में साध्य कार्यों को प्रारंभ कराकर जरूरतमंद जॉबकार्ड धारियों को रोजगार उपलब्ध कराना होगा।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लेबर बजट की लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रत्येक साध्य कार्य में चार सप्ताह के मस्टर रोल मजदूरों की उपलब्धता अनुसार जारी करने और प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 30 मजदूर प्रतिदिन कार्यरत रखने के विषय में समुचित कार्यवाही करने हेतु परिषद मुख्यालय से निर्देश दिये गये हैं।

इस पत्र के साथ "प्रिय मित्र" पत्र के प्रारूप में ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक अपनी ग्राम पंचायत में साध्य कार्य एवं तकनीकी/प्रशासकीय स्वीकृत कार्यों की जानकारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब परिवार तथा जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को उपलब्ध करायेंगे ताकि जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रारंभ कार्यों की जानकारी हो सके एवं किस कार्य पर उनके द्वारा रोजगार की मांग की जा सकती है, स्पष्ट हो जावेगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत यह सुनिश्चित करें कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में "प्रिय मित्र" पत्र जरूरतमंद जॉबकार्डधारियों को तामील हो गया है।

जिन ग्राम पंचायतों में उक्तानुसार कार्यवाही नही की गयी है उन ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से नोटिस जारी करें। जिसका जवाब सितम्बर 2015 के प्रथम सप्ताह में जनपद स्तर की समीक्षा बैठक में लिया जाये।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उक्त निर्देशों के पालन में ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा की गई कार्यवाही का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक की अगस्त माह का वेतन प्रदाय किया जाना सुनिश्चित हो।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

24/8/15

(रघुराज राजेन्द्रन)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र./8492 /MGNREGS-MP/एनआर–1 /प्रशा./2015 भोपाल, दिनांक 26/08/2015

प्रतिलिपि :–

1. संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, मनरेगा समस्त...म. प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. संभागीय प्रबंधक मनरेगा समस्त संभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/8/15

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

कार्यालय ग्राम पंचायत.............

जनपद पंचायत...........................

जिला..........................मध्यप्रदेश

दिनांक..............

प्रिय मित्र,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र. योजना अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण जॉबकार्डधारी परिवार एक साल में सौ दिन का काम कर सकते हैं। वर्तमान में इस योजना में काम करने पर एक दिन की मजदूरी 159/– रुपये तक मिलती है। आप इस योजना में 100 दिन काम करके 15,900/– रुपये तक एक साल में प्राप्त कर सकते हैं।

यदि आप इस योजना में काम करने के इच्छुक है तो ग्राम पंचायत में काम की मांग का आवेदन करें। आपके द्वारा आवेदन करने पर आपको ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्ति रसीद भी दी जायेगी।

वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में निकटतम दूरी पर निम्न कार्य प्रारंभ है, जिन पर आप काम कर सकते हैः–

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्यस्थल	कार्य पर लगने वाले मजदूरों की अनुमानित संख्या
1			
2			
3			
4			

ग्राम पंचायत सचिव/ग्राम रोजगार सहायक
ग्राम पंचायत...

प्रति,

क्रमांक	जाबकार्डधारी का नाम	समग्र आईडी/जाबकार्ड नंबर	हस्ताक्षर	मोबाइल नंबर
1				